न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 222/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

1. कृष्णकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. बनवारीलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हालनिवासी चक 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. शिवनारायण पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (कलमजन)
5. मुकेश पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सुभाष पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. सुमीत्रा पुत्री श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. सुगनादेवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. फतेसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (कलमजन)
3. विजयपालसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. भवंरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अर्जनलाल वर्मा वकील–वादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8
श्री कृष्ण कुमार वकील प्रतिवादी सं. 1, 3, 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक– 24.7.2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादीगण द्वारा दिनांक 22.06.2021 को विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये वकील पेश किया गया कि आज से करीब 60 वर्ष पूर्व वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व वादीगण संख्या 5 ता 7 के दादा तथा वादीया संख्या 8 के ससूर बीरबलराम पुत्र रामरख ने अपने भाई हनुमान व श्रीराम के साथ मिलकर चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के प.न. 158/395(24) के किला न. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 5.5280 है0कमाण्ड, प.न. 159/395(23) के किला [illegible] की 0.0130 हैक्टेयर कुल 5.5410 है0 खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. क्रय की थी। वादीगण के पिता बी[illegible]राम [illegible] चाचा हनुमान तथा श्रीराम ने उक्त भूमि खरीद करते ही अर्जीदावा की मद संख्या 3 में वर्णित [illegible] का अपने हिस्सा अनुसार बाहमी बंटवारा कर अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर लिया [illegible] अपने–अपने हिस्सा में आई हुई भूमि में अपनी सुविधा अनुसार ढ़ाणी बनाकर निवास करने [illegible] एवं काश्त करने लगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

मुताबिक बाहमी बंटवारा वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता बीरबलराम के हिस्सा में आई हुई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के प.न. 158/395(24) के किला न. 1 की 0.2280 है0, 2 की 0.2530 है0, 3 की 0.2530 है0, 4 की 0.2400 है0, 5 की 0.0250 है0, 6 की 0.02545 है0, 7 की 0.08855 है0, 8 की 0.2530 है0, 9 की 0.2530 है0, 10 की 0.2280 है0 कुल 1.8470 है0

वादीगण संख्या 1 ता 4 के चाचा हनुमान के हिस्सा में आई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 6 की 0.10055 है0, किला न. 7 की 0.16445 है0, 11 की 0.1946 है0, 12 की 0.2192 है0, 13 की 0.2192 है0, 14 की 0.2530 है0, 15 की 0.2150 है0, 16 की 0.2150 है0, 17 की 0.2530 है0 कुल 1.8340 है0, व प.न. 159/395(23) के किला न. 11 की 0.0130 है0 कुल दोनो पत्थरों की 1.847 है0कमाण्ड।

वादीगण संख्या 1 ता 4 के चाचा श्रीराम के हिस्सा में आई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 18 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.847 है0 कमाण्ड।

वादीगण का पिता बीरबलराम एवं चाचा हनुमान तथा श्रीराम अर्जीदावा की मद संख्या 3 में वर्णित बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त करते चले आ रहे थे इसी कारण वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता बीरबलराम ने अपने हिस्से में आई हुई भूमि के किला न. 10 में अपनी रिहायसी ढ़ाणी बनाकर परिवार सहित निवास करने लगा तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा हनुमान अपने हिस्से में आई हुई भूमि के किला न. 11 में ढ़ाणी बनाकर निवास करने लगा एवं किला न. 15 में कोठे का निर्माण कर रखा था तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा श्रीराम अपने हिस्सा में आई हुई भूमि में से किला न. 20 में ढ़ाणी बनाकर निवास करने लगा क्योकि किला न. 10, 11, 20 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लम्बा स्वीकृत शुदा रास्ता है जहां से वादीगण का पिता, चाचा श्रीराम व हनुमान आवागमन करते चले आ रह थे। वादीगण के पिता बीरबलराम के हिस्से में बाहमी बंटवारा मुताबिक प्राप्त भूमि को वादीगण एवं वादीगण का पिता काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण के पिता के देहान्त के पश्चात उसके कब्जा की भूमि को वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम हिस्सानुसार दर्ज हुई। चुंकि वादीगण के चाचा हनुमान को घरू खर्च खानगी हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण वादीगण के चाचा ने अपने हिस्सा में आई हुई भूमि चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न. 158/395 के किला न. 16 की0.2150 है0, 17 की 0.2530 है0 व किला न. 15 की 0.038 है0 कुल 0.5060 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 की [illegible] जरिये बैयनामा दिनांक 02.05.2001 को विक्रय कर बैय शुदा भूमि [illegible] 4 की माता व वादीगण को सम्भला दिया जिसे वादीगण काश्त करते चले आ रहे [illegible] वादीगण संख्या 1 ता 4 के चाचा हनुमान ने दिनांक 12.01.2003 को अपने हिस्सा मे बाह[illegible]टवारा मुताबिक शेंष बची भूमि को ढ़ाणी सहित वादीगण की माता रामेश्वरी देवी पत्नी बीरबलराम को विक्रय कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

वादीगण संख्या 1 ता 4 की माता को सम्भला दिया। इस प्रकार वादीगण के पिता बीरबलराम एवं चाचा हनुमान के बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि को वादीगण एवं वादीगण संख्या 1 ता 4 की माता काश्त करने लगे तथा वादीगण की माता ने अर्जीदावा में वर्णित अपने नाम से क्रय शुदा भूमि का नामान्तरण वादीगण के नाम जरिये डिक्री दिनांक 29.07.2015 के दर्ज करवा. दिया तथा वादीगण के पिता के देहान्त होने के कारण उनके नाम की भूमि विरास्तन में हम वादीगण के नाम दर्ज हुई। इस कारण अर्जीदावा में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम 1531/5541 है0, वादी संख्या 2 बनवारीलाल के नाम 1531/5541 हिस्सा हैं, वादी संख्या 3 रामचन्द्र के नाम 253/5541 है0 वादी संख्या 4 शिवनारायण के नाम 42/1847 है0, वादी संख्या 5 मुकेश के नाम 253/22164 हिस्सा, वादी संख्या 6 सुभाष के नाम 253/22164 हिस्सा, वादी संख्या 7 सुगनीदेवी के नाम 253/22164 है0 भूमि दर्ज कागजात पटवार है। अर्जीदावा की मद संख्या 3 में वर्णित वादीगण संख्या 1 ता 4 के चाचा श्रीराम के हिस्सा व बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि को वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा श्रीराम काश्त करता चला आ रहा था श्रीराम के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि श्रीराम के वारिसान कृष्णादेवी पत्नी श्रीराम, शारदा, सन्तोष, ओमशान्ति पुत्रिया श्रीराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज हुई। परन्तु दिनांक 19.06.2013 को श्रीराम के वारिसान कृष्णादेवी बगैरा ने श्रीराम से विरासतन में प्राप्त उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कों जरिये बैयनामा विक्रय कर चक 5 के.डब्ल्यू. डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 18 की 0.2530 है0, 19 की 0. 2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.847 है0 कमाण्ड भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को सोंप दिया। जिस पर क्रय की दिनांक से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज चले आ रहे हैं तथा किला न. 20 में बनी ढ़ाणी में निवास कर रहें हैं तथा किला न. 20 में पश्चिमी तरफ के स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे हैं। अर्जीदावा की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न. 158/395 के किला न. 1/2 की 0. 2280 है0, 2 व 3 की 0.506 है0, 4 की 0.2400 है0, 5 की 0.0250 है0, 6 की 0.126 है0, 7, 8, 9 की 0.759 है0, 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.1946 है0, 12 की 0.2192 है0, 13 की 0. 2192 है0, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.215 है0, 16 की 0.215 है0, 17 की 0.253 है0, प.न. 159/395(23) के किला न. 11 की 0.013 है0 कुल 3.694 है0कमाण्ड भूमि पर वादीगण काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण ने अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर काफी राशि खर्च कर उक्त भूमि को समतल कर उक्त भूमि में सुधार किया हैं एवं उक्त भूमि के किला न. 10 में तथा किला न. 11 में उतरी हिस्सा में वादीगण ने रिहायसी मकान [illegible]। जिसमें विधुत विभाग से वादी संख्या 2 बनवारीलाल के नाम से [illegible] हैं तथा किला न. 11 में बने मकानों में वादीगण के चाचा हनुमान के नाम से विधुत [illegible] लगा हुआ है तथा किला न. 3 में वादीगण ने अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु टयूबवैल ल[illegible] रखा हैं एवं चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 18 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.847 है0 कमाण्ड भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 काबिज चले आ रहे हैं जिसके किला न. 20 में बनी ढ़ाणी में प्रतिवादीगण रिहायस करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि एवं ढ़ाणी में उक्त भूमि के किला न. 20 में पश्चिमी तरफ स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे हैं परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सांझा खाता में दर्ज चली आ रही हैं इस कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ सिवं, लगान, रकम आदि को लेकर विवाद रहता है तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में साझा खाता में दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इस कारण वादीगण न्यायालय से मुताबिक बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त कर मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग–अलग कायम करवा पाने के अधिकारी हैं। फोटोप्रति विधुत बिल, डिक्री दिंनाक 29.07.2015 व प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 133/42 व 167/42 संलग्न अर्जीदावा हैं। यही आधार वाद है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई बार कहा कि वह मुताबिक कब्जा काश्त अर्जीदावा मेंवर्णित भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवा लेवे जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आज कल आज कल करते हुए समय निकालते रहे तथा आखिर आज से पांच रोज पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से बमुकाम चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर में इन्कार कर दिया तथा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को रहन बैय करने एवं उक्त भूमि से वादीगण को बैदखल करने की धमकी दी। यही कारण अर्जीदावा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अर्जीदावा में वर्णित भूमि में मुताबिक अलग–अलग काबिज चले आ रहे है यदि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को रहन, बैय, कर वादीगण को उक्त भूमि से बैदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार के हर्जा खर्चा से सम्भव नहीं होगी। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को रहन, बैय करने से निषेध रहे। वादीगण ने अपने दावा की ताईद में दस्तावेजों की सुची मय दस्तावेज जमाबन्दी चक 8 केडब्ल्यूडी बहक कृष्णकुमार वगैरह, नकल नामान्तकरण सं. 167 चक 5 केडब्ल्यूडी बहक बनवारीलाल वगैरह, नामान्तकरण सं. 133 चक 5 केडब्ल्यूडी बहक भंवरसिंह, फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 01.05.2001, फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 15.01.2003, फोटोप्रति पर्चा डिकी दिनांक 29.07.2015 बनवारीलाल बनाम रामेश्वरी वगैरह, नजरी नक्शा चक 5 केडब्ल्यूडी पेश किये।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 09.12.2021 को [illegible] श्री कृष्णकुमार उपस्थित होकर जबाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। अप[illegible] काउंटर [illegible]म में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने लिखा कि " अर्जीदावा की मद सं. [illegible] जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नहीं है क्योंकि उक्त भूमि मुश्तर्का थी तथा आज भी मुश्तर्का है तथा सभी सहकाश्तकारों का मुश्तर्का ही कब्जा काश्त था तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

खुलासा उजरात मजीद में दर्ज है। अर्जीदावा की मद सं. 3 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है क्यौंकि उक्त भूमि का कभी बाहमी बंटवारा नहीं हुआ था तथा वादी नें उक्त मद में तमाम तथ्य गलत दर्ज किये है। अर्जीदावा की मद सं. 4 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है तथा उक्त भूमि का कभी भी पुर्व में बंटवारा नहीं हुआ था। अर्जीदावा की मद सं. 5 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है खुलासा उजरात मजीद में दर्ज है। अर्जीदावा की मद सं. 6 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है। अर्जीदावा की मद सं. 7 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है।खुलसा उजरात मजीद में दर्ज है। अर्जीदावा की मद सं. 8 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है उक्त मद महज वाद को रंग देने के लिए व झुठी बिनाय मुखाश्मत हांसिल करने की गर्ज से तहरीर की गई है। अर्जीदावा की मद सं. 9 जिस तरह वादीगण ब्यान करते है बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है। अर्जीदावा की मद सं. 10, 11 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। अर्जीदावा की मद सं. 12 बवजह गलत ब्यानी वादीगण तसलीम नही है तथा इस्तदुआ वादीगण मद सं. क, ख, ग, घ कतेई तसलीम नही है तथा वाद वादीगण काबिले खारिज है।"

उजराज मजीद में लिखा कि "उक्त भूमि रावतसर से हनुमानगढ मैगाहाईवे रोड़ पर स्थित है तथा वादीगण नें प्रतिवादी नं. 1ता 4 का हक व हिस्सा मारने की नियत से अपने हिस्सा में सड़क के पास लगती हुई भूमि दर्शाई है जबकि उक्त भूमि का कभी भी बाहमी बंटवारा नहीं हुआ था तथा आज भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व खाता व लगान मुश्तर्का है तथा वाद वादीगण इसी आधार काबिले खारिज है। आराजी जरई चक नं. 5 के डब्लू डी के प0नं0 159/395 के किला नं. 11 की .013 है0, प0न0 158/395 के किला न0 1/2 की .228 है0, 2 व 3 की .506 है0, 4 की .240 है0, 5 की .025 है0, 6 की .126 है0,7 ता 9 की .759 है0, 10/2 की .228 है0,11/2 की .228 है0, 12 ता 14 की .759 है0, 15 की .215 है0, 16 की .215 है0, 17 ता 19 की .759 है0, 20/2 की .228 है0,21/2 की .228 है0,22 व 23 की .506 है0,24 की .240 है0, 25 की .038 है0, कुल तादादी 5.541 है0 तहसील रावतसर की वादीगण एंव प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के मुश्तर्का कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी नं. 1ता 4 की ब हिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा व वादी नं. 1 की 1531/5541 हिस्सा व वादी नं. 2 की 1531/5541 हिस्सा व वादी नं. 3 की 253/5541 हिस्सा व वादी नं. 4 की 42/1847 हिस्सा व वादी नं. 5 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 6 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 7 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 8 की 253/22164 हिस्सा भूमि है नकल जमाबन्दी सलंग्न वाद है जिससे यह रोशन है उक्त भूमि का कब्जा काश्त व ... लगान मुश्तर्का है जिससे वादीगण व प्रतिवादी नं. 1ता 4 के बिच ... रहता है जिससे प्रतिवादी नं. 1 ता 4 उक्त भूमि का खाता व लगान ... अच्छी में से अच्छी व घटीया में से घटीया का तकसीम करवा अलग अलग खाता क... करवा अलग अलग कब्जा पाने के मजाज है तथा यही बिनाय काउन्टर कलैम है। प्रतिवादी नं. 1 ता 4 नें वादीगण को कई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (हनु.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

मर्तबा कहा की वे उक्त भूमि का खाता व लगान किस्म भूमि अच्छी में से अच्छी व घटीया में से घटीया का तकसीम करवा अलग अलग खाता कायम करवा अलग अलग कब्जा प्राप्त कर लें लेकिन वे कुछ दिन तो लेतोलाल करते रहे बिल आखिरउक्त झुठा वाद पेश कर दिया यही बिनाय मुखाश्मत काउन्टर कलैम है।"

इस प्रकार जबाब दावा मय काउंटर कलैम पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे व काउंटर कलैम प्रतिवादी नं. 1 ता 4 स्वीकार किया जाकर आराजी जरई चक नं. 5 के डब्लू डी के प0नं0 159/395 के किला नं. 11 की .013 है0, प0न0 158/395 के किला न0 1/2 की .228 है0, 2 व 3 की .506 है0, 4 की .240 है0, 5 की .025 है0, 6 की .126 है0,7 ता 9 की .759 है0, 10/2 की .228 है0,11/2 की .228 है0, 12 ता 14 की .759 है0, 15 की .215 है0, 16 की .215 है0, 17 ता 19 की .759 है0, 20/2 की .228 है0,21/2 की .228 है0,22 व 23 की .506 है0,24 की .240 है0, 25 की .038 है0, कुल तादादी 5.541 है0 तहसील रावतसर की वादीगण एंव प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के मुश्तर्का कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी नं. 1ता 4 की ब हिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा व वादी नं. 1 की 1531/5541 हिस्सा व वादी नं. 2 की 1531/5541 हिस्सा व वादी नं. 3 की 253/5541 हिस्सा व वादी नं. 4 की 42/1847 हिस्सा व वादी नं. 5 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 6 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 7 की 253/22164 हिस्सा व वादी नं. 8 की 253/22164 हिस्सा भूमि हैका खाता व लगान किस्म भूमि अच्छी में से अच्छी व घटीया में से घटीया का तकसीम करवा अलग अलग खाता कायम करवा अलग अलग कब्जा दिलाया जावे तथा अलग अलग नाम दर्ज की जावे।

वकील वादीगण ने दिनांक 15.12.2021 को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जबाब पेश किया। अपने जबाब में वादीगण ने लिखा कि " जवाब दावा की मद संख्या 1 स्वीकार हैं। जवाब दावा की मद संख्या 2 जिस प्रकार से लिखी गई हैं। स्वीकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने दिनाक 19.06.2013 को जरिये बैयनामा चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 18 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.847 है0 कमाण्ड भूमि क्रय कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। जिस पर क्रय की दिनांक से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज चले आ रहे हैं तथा किला न. 20 में बनी ढ़ाणी में निवास कर रहें हैं तथा किला न. 20 में पश्चिमी तरफ के स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का वादीगण के साथ मुस्तर्का कब्जा काश्त होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता। वादीगण ने इस मद के सम्पूर्ण तथ्य झुठे दर्ज किये हैं। जवाब दावा की मद संख्या ... अस्वीकार हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा आज से करीब 60 वर्ष पूर्व वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व व वादीगण संख्या 5 ता 7 के दादा तथा वादीया संख्या 8 के ससुर बीरबल पुत्र रामरख ने अपने भाई हनुमान व श्रीराम के साथ उक्त भूमि क्रय करने क समय ही कर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

था। उक्त बंटवारे के मुताबिक ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित बंटवारे के मुताबिक काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने इस मद के सम्पूर्ण तथ्य झुठे दर्ज किये हैं। जवाब दावा की मद संख्या 4, 5 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है जिसका जवाब पूर्व की मदों में दिया जा चुका हैं। जवाब दावा की मद संख्या 6 ता 9, 12 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं। जवाब दावा की मद संख्या 10, 11 स्वीकार है।"

जबाब उजरात मजीद में लिखा कि "उजरात मजीद की मद संख्या 13 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा आज से करीब 60 वर्ष पूर्व हो गया था। उक्त बंटवारे मुताबिक ही प्रतिवादीगण ने अपने नाम की भूमि क्रय कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा एवं कब्जा काश्त के उक्त भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं। उजरात मजीद की मद संख्या 14 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा अलग–अलग काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने हिस्से में आई हुई भूमि में ढ़ाणी बनाकर एवं उक्त भूमि पर काफी राशि खर्च कर अपने हिस्से में आई हुई भूमि को समतल कर उक्त भूमि में सुधार किया है तथा किला नम्बर 10 व 11 में वादीगण ने रिहायसी मकान बना रखे हैं। जिसमें विधुत विभाग से वादी संख्या 2 बनवारीलाल के नाम से विधुत कनैशन जारी किया हुआ है तथा किला नम्बर 11 में बने मकानों में वादीगण के चाचा हनुमान के नाम से विधुत कनैक्शन लगा हुआ है किला नम्बर 3 में वादीगण ने अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु टयूबवैल लगा रखा हैं तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्से में आई हुई भूमि के किला न. 20 में बनी ढ़ाणी में निवास कर रहे हैं तथा किला नम्बर 20 में पश्चिमी तरफ से स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते हुए अपने हिस्से में आई हुई भूमि जिसका वर्णन्न वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में दिया गया है को काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि सांझा खाता में दर्ज हैं। जिस कारण प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया हैं। इसी लालच वंश प्रतिवादीगण ने झुठे तथ्यों के आधार पर जवाब व उजरात मजीद दर्ज की हैं, जो काबिले खारीज हैं। उजरात मजीद की मद संख्या 15 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं हैं। उजरात मजीद में वर्णित भूमि पर वादीगण ने प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के मुताबिक अलग–अलग काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काफी राशि खर्च कर टयूबवैलों व मकानों का निर्माण किया है एवं भूमि को समतल किया है तथा करीब 60 वर्षो से अलग–अलग काबिज चले आ रहे है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने नाम की भूमि को वर्ष 2013 में कृष्णादेवी, शारदादेवी, सन्तोषदेवी, ओमशान्ति, चन्द्रप्रकाश से क्रय की थी तथा उनके कब्जे काश्त की भूमि का कब्जा प्राप्त किया था जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आज भी काबिज चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में [illegible] द्वारा अच्छी मंदी के हिसाब से दुबारा खाता विभाजन करवाने का [illegible] उक्त अनवानी काउन्टर क्लेम पेश करने का आधार प्राप्त नहीं होने [illegible] कारण प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम काबिले खारीज हैं। उजरात मजीद की मद संख्या [illegible] गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं। उक्त मद के सम्पूर्ण तथ्य प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम को कानूनी रंग

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
तक्तार (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

देने के लिए झुठे दर्ज किये है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर अलग–अलग काबिज चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह कहना कि अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर लेवे अपने आप में झुठे साबित हो जाते हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी भी खाता विभाजन नहीं कहा। प्रतिवादीगण को उक्त अनवानी काउन्टर क्लेम पेश करने का वाद कारण हासिल नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम काबिले खारीज हैं। उजरात मजीद की मद संख्या 17 कानूनी हैं जो अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम कम अल्प शुल्क पर पेश होने एवं अन्दर मियाद नहीं होने के कारण काबिले खारीज हैं। उजरात मजीद में दर्ज अनुतोष अस्वीकार हैं।''

इस प्रकार जवाब उल जवाब मय जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारीज फरमाया जावें।

राजपेरोकार ने जबाब पेश किया। अपने जबाब में राजपेरोकार ने वादी के दावा की मद सं. 1 को पते से संबंधित, मद सं. 2 को रिकार्ड की हद तक स्वीकार, मद सं. 3 ता 9 को लाईल्मी, सिद्ध करने का भार वादी पर, मद सं. 10 ता 12 को कानूनी होना बताते हुए जबाब के अन्त में लिखा कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए तथा साक्ष्य सबूत लिये जाकर निर्णय किया जाना उचित होना बताया।

इस प्रकार जबाबदावा आदि प्रस्तुत होने पर पत्रावली में निम्नानुसार तनकीआत कायम की गई।

1. आया वादीगण वादपत्र की मद सं. 7 में वर्णित बाहमी बंटवारा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक वादपत्र में वर्णित भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वादपत्र में वर्णित वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण रहन बैय करने एवं वादीगण को उक्त भूमि से बैदखल करने से निषेद्ध रहें।

–वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण वादपत्र एवं काउंटर क्लेम में वर्णित भूमि का अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के हिसाब से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

–प्रतिवादी सं. 1 ता 4

4. आया प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम अन्दर मियाद नहीं होने के कारण खारीज है।

–वादीगण

पत्रावली में पर्चा तनकीआत कायम होने पर पत्रावली को साक्ष्य हेतु रखा गया। दिनांक 17.01.2022 को साक्ष्यवादी–1 में वादी सं. 2 बनवारीलाल व साक्ष्यवादी–2 में वादी सं. 3 रामचन्द्र ने शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 10.02.2022 को वकील प्रतिवादीगण ने वादी सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों पर जिरह की।

वादी सं. 2 ने जिरह वकील प्रतिवादीगण में [illegible] 54 वर्ष है भूमि का बंटवारा मेरे जन्म से ही पूर्व हो गया था बंटवारा हुऐ करीब 60 [illegible] जब बंटवारा हुआ था तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था इसलिये मैं [illegible] बंटवारा बीरबलराम, हनुमान व श्रीराम के बीच हुआ था यह सही है कि बंटवारे की लिखा पढ़ी पेश नहीं की है क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। यह सही है कि उक्त भूमि जमाबन्दी, गिरदावरी में सांझी बोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
तक्तकर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
तवतकर

रही है यह कहना गलत है कि भूमि की रकम सांझी आती हो अज खुद कहा कि अलग–अलग आती है। यह सही है कि रकम की रसीद मैनें पेश नहीं की है। मेरे पास रकम की रसीद घर पर है। मैं विवादित भूमि के किला नम्बर पत्थर नम्बर बता सकता हुं विवादित भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 158/395 कि.नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है कुल 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि है। उक्त भूमि हनुमानगढ़ मेगा हाईव पर 4 बीघा भूमि लगती है तथा लिंक रोड़ पर 5 बीघा लगती है। यह कहना गलत है कि सड़क के पास वाली जमीन की कीमत ज्यादा हो। यह कहना सही है कि विवादित भूमि के प्रत्येक किला में सड़क लगती है अज खुद कहा कि किला नम्बर 1 ता 5, 10, 11, 20, 21 में सड़क लगती है। यह सही है कि हमने उक्त भूमि में से 2 बीघा 2001 में खरीदी थी तथा 2003 में 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि हमारे चाचा से खरीद की थी। यह सही है कि हमने खरीद की हुई भूमि की रजिस्ट्री पेश की है। हमने रजिस्ट्री में किले खुलवाकर नहीं खरीदी बल्कि सांझे में रजिस्ट्री है कब्जा हमें सन् 2001 में किला नम्बर 16, 17 का तथा सन् 2003 में कि.नं. 11, 12, 13, 14, 15 कुछ किस्सा कि.नं. 6, 7 का दिया गया था। जिसमें से किला नम्बर 11 में ढाणी बनी हुई थी तथा किला नम्बर 15 में मकान बना हुआ था जो मेरे चाचा के थे। जो हमें सौपे गये थे। यह सही है कि उक्त भूमि जमाबन्दी में सांझा में दर्ज थी इसलिये सांझे में रजिस्ट्री हुई थी। यह सही है कि रजिस्ट्री में बंटवारा से संबंधित कोई बात दर्ज नहीं है अज खुद कहा कि पूर्व में जो बंटवारा हुआ था उसी का ही कब्जा दिया गया था। यह सही है कि प्रतिवादीगण भंवरसिंह वगैरह ने भी श्रीराम के परिवार की भूमि क्रय की थी और भंवरसिंह वगैरह ने भी सांझे में खरीद की थी परन्तु मौके पर कब्जा श्रीराम का कब्जा कि.नं. 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ हिस्सा 11, 12, 13 में कब्जा था उसी आधार पर ही फतेहसिंह वगैरह को दिया गया था। हमने भूमि जिससे खरीद की थी व भंवरसिंह वगैरह ने जिससे खरीद की थी विक्रेता दोनों सगे भाई थे अज खुद कहा कि हमने भूमि हनुमान से तथा भंवरसिंह वगैरह ने श्रीराम के परिवार से खरीद की थी श्रीराम व हनुमान का कब्जा अलग अलग बंटवारे मुताबिक था। उक्त भूमि पहले हमारे मां व पिता के नाम थी हमने जरिये डिक्री दिनांक 29.07.2015 को अपने नाम दर्ज करवाई थी। उस दावे व डिक्री दोनों में बंटवारे से संबंधित बाते थी। आज मुझे याद नहीं की जो न्यायालय में निर्णय हुआ उसमें बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय हुआ है या नहीं। नहरी विभाग ने हमारी गिरदावरी कब्जे के आधार पर अलग अलग होती है तथा सिंचाई विभाग के रिकार्ड में भी अलग–अलग दर्ज है। यह कहना गलत है कि जो भूमि मेगा हाईवे व क्षेत्रीय रोड़ पर लगती है वह भूमि कीमती हो तथा उसे में अकेला अपने नाम दर्ज करवाने के लिये उक्त वाद पेश किया है तथा यह कहना भी गलत है कि उक्त भूमि मुश्तर्का कब्जा काश्त हो तथा लेकिन भूमि मुश्तर्का दर्ज है।"

वादी सं. 3 ने जिरह वकील प्रतिवादीगण में बताया "मेरी उम्र 34 वर्ष है भूमि का बंटवारा मेरे जन्म से ही पूर्व हो गया था बंटवारा हुए करीब 60 वर्ष हो गये है। जब बंटवारा हुआ था तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था इसलिये मैं बंटवारा मे शामिल नहीं था। बंटवारा बीरबलराम, हनुमान व श्रीराम के बीच हुआ था यह सही है कि बंटवारे की लिखा पढ़ी पेश नहीं की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। यह सही है कि उक्त भूमि जमाबन्दी, गिरदावरी में सांझी बोल रही है यह कहना गलत है कि भूमि की रकम सांझी आती हो अज खुद कहा कि अलग–अलग आती है। यह सही है कि रकम की रसीद मैनें पेश नहीं की है। मेरे पास रकम की रसीद घर पर है। मैं विवादित भूमि के किला नम्बर पत्थर नम्बर बता सकता हुं विवादित भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 158/395 कि.नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है कुल 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि है। उक्त भूमि हनुमानगढ़ मेगा हाईव पर 4 बीघा भूमि लगती है तथा लिंक रोड़ पर 5 बीघा लगती है। यह कहना गलत है कि सड़क के पास वाली जमीन की कीमत ज्यादा हो। यह कहना सही है कि विवादित भूमि के प्रत्येक किला में सड़क लगती है अज खुद कहा कि किला नम्बर 1 ता 5, 10, 11, 20, 21 में सड़क लगती है। यह सही है कि हमने उक्त भूमि में से 2 बीघा 2001 में खरीदी थी तथा 2003 में 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि हमारे चाचा से खरीद की थी। यह सही है कि हमने खरीद की हुई भूमि की रजिस्ट्री पेश की है। हमने रजिस्ट्री में किले खुलवाकर नहीं खरीदी बल्कि सांझे में रजिस्ट्री है कब्जा हमें सन् 2001 में किला नम्बर 16, 17 का तथा सन् 2003 में कि.नं. 11, 12, 13, 14, 15 कुछ किस्सा कि.नं. 6, 7 का दिया गया था। जिसमें से किला नम्बर 11 में ढाणी बनी हुई थी तथा किला नम्बर 15 में मकान बना हुआ था जो मेरे चाचा के थे। जो हमें सौपे गये थे। यह सही है कि उक्त भूमि जमाबन्दी में सांझा में दर्ज थी इसलिये सांझे में रजिस्ट्री हुई थी। यह सही है कि रजिस्ट्री में बंटवारा से संबंधित कोई बात दर्ज नहीं है अज खुद कहा कि पूर्व में जो बंटवारा हुआ था उसी का ही कब्जा दिया गया था। यह सही है कि प्रतिवादीगण भंवरसिंह वगैरह ने भी श्रीराम के परिवार की भूमि कय की थी और भंवरसिंह वगैरह ने भी सांझे में खरीद की थी परन्तु मौके पर कब्जा श्रीराम का कब्जा कि.नं. 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ हिस्सा 11, 12, 13 में कब्जा था उसी आधार पर ही फतेहसिंह वगैरह को दिया गया था। हमने भूमि जिससे खरीद की थी व भंवरसिंह वगैरह ने जिससे खरीद की थी विक्रेता दोनों सगे भाई थे अज खुद कहा कि हमने भूमि हनुमान से तथा भंवरसिंह वगैरह ने श्रीराम के परिवार से खरीद की थी श्रीराम व हनुमान का कब्जा अलग अलग बंटवारे मुताबिक था। उक्त भूमि पहले हमारे मां व पिता के नाम थी हमने जरिये डिक्री दिनांक 29.07.2015 को अपने नाम दर्ज करवाई थी। उस दावे व डिक्री दोनों में बंटवारे से संबंधित बाते थी। आज मुझे याद नहीं की जो न्यायालय में निर्णय हुआ उसमें बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय हुआ है या नहीं। नहरी विभाग ने हमारी गिरदावरी कब्जे के आधार पर अलग अलग होती है तथा सिंचाई विभाग के रिकार्ड में भी अलग–अलग दर्ज है। यह कहना गलत है कि जो भूमि मेगा हाईवे व क्षेत्रीय रोड़ पर लगती है वह भूमि कीमती हो तथा उसे में अकेला अपने नाम दर्ज करवाने के लिये उक्त वाद पेश किया है तथा यह कहना भी गलत है कि उक्त भूमि मुश्तर्का कब्जा [illegible] था लेकिन भूमि मुश्तर्का दर्ज है।"

वकील वादीगण ने दिनांक 11.02.2022 को दस्तावेजों की सूची [illegible] दस्तावेज फोटोप्रति विधुत बिल पेश किये। दिनांक 11.02.2022 को साक्ष्यवादी – 3 में साह[illegible] पुत्र श्री रामनारायण निवासी चक 5 केडब्ल्यूडी उपस्थित आये व उनके साक्ष्य लिये गये। अपने साक्ष्य में साहबराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

पुत्र रामनारायण ने बताया कि "मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से जानता हूं मै चक 5 केडब्ल्यूडी में रहता हु। मैं वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि बता सकता हूं जो 5 केडब्ल्यूडी में है। वादीगण की कृषि भूमि मुरब्बा 158/395 के कि.नं. 1 ता 17 तक है और फतेहसिंह वगैरह की भूमि 18 नम्बर से कि.नं. 25 तक है कि.नं. 25 में फतेहसिह वगैरह की थोड़ी सी कृषि भूमि है जिसमें ट्यूबैल लगा हुआ है उक्त ट्यूबैल श्रीराम ने लगाया था। वादीगण बनवारी वगैरह की ढाणी कि.नं. 10 में बनी हुई है तथा हनुमान की ढाणी कि.नं. 11 में बनी हुई थी जो हनुमान ने वादीगण बनवारी वगैरह को विक्रय की दी थी। हनुमान की कि.नं. 15 में भी एक मकान बना हुआ था उक्त भूमि भी मकान सहित बनवारी वगैरह को विक्रय कर दी। बनवारी वगैरह के पास जो भूमि है उक्त भूमि बंटवारे में पहले बनवारी के पिता बीरबलराम व चाचा हनुमान के कब्जा काश्त में थी बीरबलराम के फोत होने के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्रो बनवारी वगैरह को मिल गई हनुमान ने अपने कब्जा काश्त की कि.नं. 16, 17 वर्ष 2001 में बनवारी की माता को भूमि विक्रय कर दी थी तथा हनुमान ने अपनी शेंष भूमि 2003 में बनवारी की माता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। इस कारण बीरबलराम व हनुमान के कब्जा काश्त की सम्पूर्ण भूमि पर वर्तमान में वादीगण बनवारी वगैरह का कब्जा है। कि.नं. 3 में बनवारी वगैरह ने अपना ट्यूबैल लगा रखा है। श्रीराम के फोत होने के पश्चात उनके वारीसान ने अपने कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी इस कारण श्रीराम के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण फतेहसिंह वगैरह का कब्जा है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है। बनवारी वगैरह के मकान में विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा हनुमान ने भी अपने कब्जा की भूमि में बने हुए मकान में विधुत कनेक्शन अपने नाम से लगाया था। उक्त दोंनों कनेक्शन बनवारी वगैरह की भूमि में है। विधुत बिल प्रदर्श 8 ता 10 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 8ए से 10 ए है।"

साहबराम पुत्र रामनारायण ने वकील प्रतिवादी की जिरह में बताया कि "विवादित भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी में है। पत्थर नम्बर 158/395 कि.नं. 1 ता 25 है। विवादित भूमि सम्पूर्ण एक ही पत्थर नम्बर में है। विवादित भूमि एक ही मुरब्बा में है तथा एक ही पत्थर नम्बर में है। विवादित भूमि लगभग 21 बीघा है। विवादित 21 बीघा भूमि बनवारी, कृष्ण, श्योनारायण, भतीजे सुभाष व सुभाष के भाई के नाम दर्ज है। मुझे नहीं पता की विवादित 21 बीघा भूमि किन–किन लोगों के नाम कितने कितने नाम दर्ज है अज खुद कहा कि बीरबलराम व हनुमान के हिस्सा की भूमि बनवारी वगैरह के पास है तथा श्रीराम के हिस्से की भूमि फतेहसिंह वगैरह के पास है। पक्की सड़क जो डाबर से बनी हुई इस भूमि के दो तरफ लगती है तिसरी तरफ मंजुर शुदा रास्ता लगता है। यह सही है कि फतेहसिंह वगैरह की जमीन भी खरीदी हुई है अज खुद कहा कि श्रीराम वगैरह से खरीद की थी बनवारी [illegible] हिस्सा खरीद किया था। बनवारी वगैरह ने हनुमान से सन् 2001 में 2 बीघा भूमि त[illegible] की थी। फतेहसिंह वगैरह ने 2013 में श्रीराम के [illegible] सम्पूर्ण भूमि खरीद की थी। रजिस्ट्री सभी किला खोलकर हुई है अज खुद कहा कि क[illegible] अलग अलग था जो बहुत पुराना था। यह सही है कि रजिस्ट्री में मैं गवाह नहीं था तथा ना ही जिस दिन रजिस्ट्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

हुई उस दिन मैं मौके पर था। मेरे सामने बंटवारे से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी अज खुद कहा कि जमीन का उतरी हिस्सा बीरबल के हिस्से में था तथा उसके पश्चात दक्षिणी तरफ हनुमान का हिस्सा था तथा हनुमान के दक्षिणी तरफ श्रीराम का हिस्सा था। मेरे सामने बंटवारा से संबधित कोई पंचायती नहीं हुई थी। अज खुद कहा कि भाईयों का मामला था आपस में बांट ली। मेरी भूमि विवादित भूमि से लगभग 2 मुरब्बा दुर है। मेरी भूमि के पत्थर नम्बर नहीं बता सकता किला नम्बर बता सकता हुं जो 1 ता 25 है शेंष दुसरे मुरब्बे में पड़ती है। बनवारी जी मेरे रिश्तेदार है पहले भाईचारा था। यह कहना गलत है कि मैं आज बनवारी जी के कहने से झुठे ब्यान दे रहा हूं।"

दिनांक 11.02.2022 को ही साक्ष्यवादी – 4 में रामजीलाल पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 5 केडब्ल्यूडी उपस्थित आये व उनके साक्ष्य लिये गये। अपने साक्ष्य में रामजीलाल पुत्र हनुमान ने बताया कि " मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से जानता हूं मै चक 5 केडब्ल्यूडी में रहता हु। मैं वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि बता सकता हूं जो 5 केडब्ल्यूडी में है। वादीगण की कृषि भूमि मुरब्बा 158/395 के कि.नं. 1 ता 17 तक है और फतेहसिंह वगैरह की भूमि 18 नम्बर से कि.नं. 25 तक है कि.नं. 25 में फतेहसिह वगैरह की थोड़ी सी कृषि भूमि है जिसमें ट्यूबैल लगा हुआ है उक्त ट्यूबैल श्रीराम ने लगाया था। वादीगण बनवारी वगैरह की ढाणी कि.नं. 10 में बनी हुई है तथा हनुमान की ढाणी कि.नं. 11 में बनी हुई थी जो हनुमान ने वादीगण बनवारी वगैरह को विक्रय की दी थी। हनुमान की कि.नं. 15 में भी एक मकान बना हुआ था उक्त भूमि भी मकान सहित बनवारी वगैरह को विक्रय कर दी। बनवारी वगैरह के पास जो भूमि है उक्त भूमि बंटवारे में पहले बनवारी के पिता बीरबलराम व चाचा हनुमान के कब्जा काश्त में थी बीरबलराम के फोत होने के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्रो बनवारी वगैरह को मिल गई हनुमान ने अपने कब्जा काश्त की कि.नं. 16, 17 वर्ष 2001 में बनवारी की माता को भूमि विक्रय कर दी थी तथा हनुमान ने अपनी शेंष भूमि 2003 में बनवारी की माता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। इस कारण बीरबलराम व हनुमान के कब्जा काश्त की सम्पूर्ण भूमि पर वर्तमान में वादीगण बनवारी वगैरह का कब्जा है। कि.नं. 3 में बनवारी वगैरह ने अपना ट्यूबैल लगा रखा है। श्रीराम के फोत होने के पश्चात उनके वारीसान ने अपने कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी इस कारण श्रीराम के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण फतेहसिंह वगैरह का कब्जा है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है। बनवारी वगैरह के मकान में विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा हनुमान ने भी अपने कब्जा की भूमि में बने हुए मकान में विधुत कनेक्शन अपने नाम से लगाया था। उक्त दोंनों कनेक्शन बनवारी वगैरह की भूमि में है।"

रामजीलाल पुत्र हनुमान ने जिरह वकील प्रतिवादी में बताया [illegible] केडब्ल्यूडी में है। पत्थर नम्बर 158/395 कि.नं. 1 ता [illegible] है। विवादित [illegible] भूमि चक 5 पत्थर नम्बर में है। विवादित भूमि एक ही मुरब्बा में है तथा एक ही पत्थर नम्बर में है। [illegible] सम्पूर्ण एक ही भूमि लगभग 21 बीघा है। विवादित 21 बीघा भूमि बनवारी, कृष्ण, श्योनारायण, भतीजे सुभाष व सुभाष के भाई के नाम दर्ज है। मुझे नहीं पता की विवादित 21 बीघा भूमि किन–किन लोगों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

नाम कितने कितने नाम दर्ज है अज खुद कहा कि बीरबलराम व हनुमान के हिस्सा की भूमि बनवारी वगैरह के पास है तथा श्रीराम के हिस्से की भूमि फतेहसिंह वगैरह के पास है। पक्की सड़क जो डाबर से बनी हुई इस भूमि के दो तरफ लगती है तिसरी तरफ मंजुर शुदा रास्ता लगता है। यह सही है कि फतेहसिंह वगैरह की जमीन भी खरीदी हुई है अज खुद्र कहा कि श्रीराम वगैरह से खरीद की थी बनवारी वगैरह ने हनुमान से सम्पूर्ण हिस्सा खरीद किया था। बनवारी वगैरह ने हनुमान से सन् 2001 में 2 बीघा भूमि तथा शेंष भूमि 2003 में कय की थी। फतेहसिंह वगैरह ने 2013 में श्रीराम के वारीसान से उनके हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि खरीद की थी। रजिस्ट्री सभी किला खोलकर हुई है अज खुद कहा कि कब्जा अलग अलग था जो बहुत पुराना था। यह सही है कि रजिस्ट्री में मैं गवाह नहीं था तथा ना ही जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन मैं मौके पर था। मेरे सामने बंटवारे से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी अज खुद कहा कि जमीन का उतरी हिस्सा बीरबल के हिस्से में था तथा उसके पश्चात दक्षिणी तरफ हनुमान का हिस्सा था तथा हनुमान के दक्षिणी तरफ श्रीराम का हिस्सा था। मेरे सामने बंटवारा से संबधित कोई पंचायती नहीं हुई थी। अज खुद कहा कि भाईयों का मामला था आपस में बांट ली। मेरी भूमि विवादित भूमि से लगभग 2 मुरब्बा दुर है। मेरी भूमि के पत्थर नम्बर नहीं बता सकता। बनवारी जी मेरे रिश्तेदार है पहले भाईचारा था। यह कहना गलत है कि मैं आज बनवारी जी के कहने से झुठे ब्यान दे रहा हूं।"

दिनांक 30.03.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी–1 में प्रतिवादी सं. 4 भंवरसिंह उपस्थित आये जिनके साक्ष्य लिये गये। अपने साक्ष्य में लिखा कि "वादीगण कृष्णकुमार व प्रतिवादी फतेहसिंह आदि की चक 5 केडब्ल्यूडी में 5.541 है. यानि 21 बीघा 18 बिस्वा सांझी भूमि है तथा उक्त भूमि पर सांझी ही फसल काश्त है। उक्त भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं किया। हम चार भाईयों फतेहसिंह आदि की इसमें 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा 6 बिस्वा सांझी भूमि है तथा उक्त भूमि रावतसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर पड़ती है। उक्त भूमि का कब्जा काश्त व आबीयाना सांझा है जिससे हमारे बीच खाता व लगाना का तनाजा रहता है इसलिये हम उक्त भूमि का खाता तकसीम अच्छी माड़ी के हिसाब से करवाना चाहते है।"

प्रतिवादी सं. 4 भंवरसिंह ने जिरह वकील वादीगण में बताया कि "यह सही है कि दिनांक 19.06.2013 को मैने व मेरे भाईयों ने वादपत्र में वर्णित भूमि खरीदी थी। यह सही है कि हमने उक्त भूमि श्रीराम के वारीसान से खरीदी थी। मेरे व मेरे भाईयों के नाम सांझे में 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि है। मैं नहीं बता सकता की कितने बीघों मे सरसों व कितने बीघों में गेहूं काश्त है। अज खुद कहा कि ज्यादा गेहूं काश्त है। कभी खेती मैं करता हूं कभी मेरे भाई करते है। वर्तमान में खेती मेरी की हुई है। मेरी बड़ी ढाणी 5 केडब्ल्यूडी में है मैंने खाद वगैरह रखने के लिये कि. नं. 20 में मकान बना रखा है। यह सही है कि [illegible] पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण मंजुर शुदा रास्ता है। दक्षिण दिशा में पक्का खाला लग[illegible] है। [illegible] ट्यूबैल नहीं लगा रखा है अज खुदा कहा कि [illegible] भूमि में कोई [illegible] जो कि.नं. 3 व 25 में है। हमने कि.नं. 20 में जो खाद आदि रखने के लिये मकान बना [illegible] है उसमें मेरे छोटे भाई फतेहसिंह के नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा है। यह सही है कि वादीगण की कृषि भूमि में बने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

हुए मकानों में भी विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। जिस समय मैनें भूमि खरीदी थी उस समय कि.नं. 20 में मकान बना हुआ था अज खुद कहा कि सांझे में बना हुआ था।''

दिनांक 27.04.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी–2 में चतरसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत निवासी 4 केडब्ल्यूएम उपस्थित आये जिनके साक्ष्य लिये गये। अपने साक्ष्यों में बताया कि '' मैं कृष्ण आदि व फतेहसिंह आदि को जानता हूं तथा इनकी भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी में 21–22 बीघा भूमि है तथा उक्त भूमि के पूर्व में मेगा हाईवे सड़क दक्षिण में नहर व खाला उतर में लिंक रोड़ व पश्चिम में मंजुर शुदा रास्ता है। कृष्ण आदि व फतेहसिंह आदि उक्त भूमि को सांझी काश्त करते है तथा कभी एक तरफ वाली कभी दुसरी तरफ वाली काश्त करते है। वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि में नरमा काश्त है।''

चतरसिंह पुत्र भेरूसिंह ने जिरह वकील वादीगण में बताया कि ''यह सही है कि मैं इस भूमि बाबत ब्यान देने आया हूं इस भूमि के किला नम्बर व प.नं. नहीं बता सकता। यह सही है कि मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हूं उस भूमि में दो ट्यूबैल लगे है जिसमें से एक उतरी तरफ व दुसरा दक्षिणी तरफ लगा हुआ है। यह सही है कि कृष्ण व फतेहसिंह किस किस भूमि को काश्त कर उसके किला नम्बर व पत्थर नम्बर मैं नहीं बता सकता। यह सही है कि मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उस भूमि के उतरी तरफ चक भाकरवाली के तरफ जाने वाली रोड़ है यह सही है कि मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उसकी पश्चिमी तरफ स्वीकृत शुदा रास्ता है। मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उक्त भूमि में तीन ढाणियां बनी हुई है। उक्त ढाणी किन किन किला में बनी हुई है मैं नहीं बता सकता यह कहना गलत है कि उतरी तरफ जो ढाणीयां बनी हुई हो उसमें वादीगण कृष्णलाल व उसका परिवार निवास करता हो अज खुद कहा कि सरपंच साहब के चौथीये रहते है। यह कहना गलत है कि किला नम्बर 20 में बनी हुई ढाणी में सरपंच साहब के चौथीये रहते हो। यह सही है कि दक्षिणी तरफ जो ढाणी बनी हुई उसमें सरपंच साहब के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। यह सही है कि उतरी तरफ जो ढाणीया बनी हुई है उसमें वादीगण वउसके परिवार के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है।''

साक्ष्य प्रतिवादी–3 में जगदीशसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिह जाति राजपूत निवासी 5 केडब्ल्यूडी उपस्थित आये जिनके साक्ष्य लिये गये। अपने साक्ष्यों मे बताया कि '' मैं कृष्ण आदि व फतेहसिंह आदि को जानता हूं तथा इनकी भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी में 21–22 बीघा भूमि है तथा उक्त भूमि के पूर्व में मेगा हाईवे सड़क दक्षिण में नहर व खाला उतर में लिंक रोड़ व पश्चिम में मंजुर शुदा रास्ता है। कृष्ण आदि व फतेहसिंह आदि उक्त भूमि को सांझी काश्त करते है तथा कभी एक तरफ वाली कभी दुसरी तरफ वाली काश्त करते है। वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि में नरमा काश्त है।''

जगदीशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह ने जिरह वकील वादीगण [illegible] ''यह सही है कि मैं इस भूमि बाबत ब्यान देने आया हूं इस भूमि [illegible] सकता। यह सही है कि मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हूं उस भूमि में [illegible] लगे है जिसमें से एक उतरी तरफ व दुसरा दक्षिणी तरफ लगा हुआ है। यह सही है कि [illegible] व फतेहसिंह किस किस भूमि को काश्त कर उसके किला नम्बर व पत्थर नम्बर मैं नहीं बता सकता। यह सही है कि मैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उस भूमि के उतरी तरफ चक भाकरवाली के तरफ जाने वाली रोड़ है यह सही है कि मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उसकी पश्चिमी तरफ स्वीकृत शुदा रास्ता है। मैं जिस भूमि बाबत ब्यान देने आया हु उक्त भूमि में तीन ढाणियां बनी हुई है। उक्त ढाणी किन किन किला में बनी हुई है मैं नहीं बता सकता यह कहना गलत है कि उतरी तरफ जो ढाणीयां बनी हुई हो उसमें वादीगण कृष्णलाल व उसका परिवार निवास करता हो अज खुद कहा कि सरपंच साहब के चौथीये रहते है। यह कहना गलत है कि किला नम्बर 20 में बनी हुई ढाणी में सरपंच साहब के चौथीये रहते हो। यह सही है कि दक्षिणी तरफ जो ढाणी बनी हुई उसमें सरपंच साहब के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। यह सही है कि उतरी तरफ जो ढाणीया बनी हुई है उसमें वादीगण वउसके परिवार के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है।''

उक्तानुसार पत्रावली पर तनकीआत कायम होकर उन पर वादीगण व प्रतिवादीगण के साक्ष्य लिये गये।

दिनांक 15.05.2024 को वादी सं0 4 शिवनारायण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ''वादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थी व दावे के वादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 8 ने हिस्से में आई भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया था। बंटवारे के मुताबिक प्रार्थी के हिस्सा में चक 5 केडब्ल्यूडी के प.नं. 158/395(4) कि.नं. 16 की दक्षिणी पासा की 0.076 है., 17 की दक्षिणी हिस्सा की 0.050 है. कुल 0.126 है. भूमि प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि का खाता व लगान वादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8 से अलग कायम करवाना चाहता है।'' वादी सं. 4 के प्रार्थना पत्र पर वादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8 ने अनापति पेश की।

दिनांक 24.05.2024 को प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ''वादपत्र में अकिंत भूमि चक 5 केडब्ल्यूडी की 5.541 है. में से प्रतिवादी सं. 2 भगवानसिंह ने अपने तमाम हक हिस्सा का दानपत्र दिनांक 24.03.2022 को प्रार्थीगण के पक्ष में करवा दिया है तथा वादी सं. 2 शिवनारायण ने अपने हक हिस्सा की तमाम भूमि का बैयनामा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 06.09.2023 को करवा दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 व वादी सं. 4 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। उपरोक्त दानपत्र व बैयनामा होने के पश्चात प्रार्थीगण की भूमि 1.973 है. हो गई है तथा वादी सं. 1 की 1.531 है., वादी सं. 2 की 1.531 है., वादी सं. 3 की 0.253 है., वादी सं. 5 की 0.063 है., वादी सं. 6 की 0.064 है., वादी सं. 7 की 0.063 है. व वादी सं. 8 की 0.063 है. भूमि है। न्यायालय वाद के किसी भी प्रकम पर किसी भी पक्षकार का नाम काट सकता है तथा जो [illegible] है। उक्त भूमि में जो हिस्सा प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 का है वह उसे इकट्ठा ही रखना [illegible] करवाना चाहते है। इसलिये वादपत्र से वादी [illegible] व प्रतिवादी [illegible] निर्णय जावे।'' जिस पर वकुलाए फरिकैन को सुना [illegible] कलमजन किया [illegible] स्वीकार किया गया।

इस प्रकार पत्रावली में साक्ष्य आदि लिये जाने के बाद तन[illegible]र वकुलाए फरिकैन की बहस सुनकर निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सवाज (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादीगण वादपत्र की मद सं. 7 में वर्णित बाहमी बंटवारा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक वादपत्र में वर्णित भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादी ने अपनी बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आज से करीब 60 वर्ष पूर्व वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व वादीगण संख्या 5 ता 7 के दादा तथा वादीया संख्या 8 के ससूर बीरबलराम पुत्र रामरख ने अपने भाई हनुमान व श्रीराम के साथ मिलकर वादग्रस्त भूमि ब हिस्सा बराबर कय की थी। वादीगण के पिता बीरबलराम एवं चाचा हनुमान तथा श्रीराम ने उक्त भूमि खरीद करते ही वाद भूमि का वादपत्र की मद सं. 3 में वर्णित बाहमी बंटवारा के मुताबिक अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर लिया तथा अपने–अपने हिस्सा में आई हुई भूमि में अपनी सुविधा अनुसार ढ़ाणी बनाकर निवास करने लगे एवं काश्त करने लगे। वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता बीरबलराम ने अपने हिस्से में आई हुई भूमि के किला न. 10 में अपनी रिहायसी ढ़ाणी बनाकर परिवार सहित निवास करने लगा तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा हनुमान अपने हिस्से में आई हुई भूमि के किला न. 11 में ढ़ाणी बनाकर निवास करने लगा एवं किला न. 15 में कोठे का निर्माण कर रखा था तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा श्रीराम अपने हिस्सा में आई हुई भूमि में से किला न. 20 में ढ़ाणी बनाकर निवास करने लगा क्योकि किला न. 10, 11, 20 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लम्बा स्वीकृत शुदा रास्ता है जहां से वादीगण का पिता, चाचा श्रीराम व हनुमान आवागमन करते चले आ रह थे। वादीगण के चाचा हनुमान ने अपने हिस्सा की भूमि प.नं. 158/395 कि.नं. 16 की 0.215 है., 17 की 0. 253 है., 15 की 0.038 है. कुल 0.506 है. भूमि वादीगण 1 ता 4 की माता को जरिये बैयनामा दिनांक 02.05.2001 को विकय कर बैय शुदा भूमि का कब्जा वादीगण 1 ता 4 की माता को संभला दिया था जिसे वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के चाचा हनुमान ने दिनांक 12.01.2003 को अपने हिस्सा में बाहमि बंटवारा मुताबिक शेंष बची भूमि को ढ़ाणी सहित वादीगण की माता रामेश्वरी देवी पत्नि बीरबलराम को विकय कर कब्जा वादीगण 1 ता 4 की माता को संभला दिया।

वादीगण संख्या 1 ता 4 के चाचा श्रीराम के हिस्सा व बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि को वादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा श्रीराम काश्त करता चला आ रहा था श्रीराम के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि श्रीराम के वारिसान कृष्णादेवी पत्नी श्रीराम, शारदा, सन्तोष, ओमशान्ति पुत्रिया श्रीराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज हुई। परन्तु दिनांक 19.06. 2013 को श्रीराम के वारिसान कृष्णादेवी बगैरा ने श्रीराम से विरासतन में प्राप्त उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कों जरिये बैयनामा विक्रय कर चक 5 के डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0 दक्षिणी [illegible] न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा [illegible] 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.25[illegible] 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.847 है0 कमाण्ड भूमि [illegible] कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को सोंप दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्श 1, नामान्तकरण प्रदर्श 2 व 3, बैयनामा प्रदर्श 4ए, बैयनामा प्रदर्श 5ए, पर्चा डिकी की प्रति प्रदर्श 6, नजरीया नक्शा प्रदर्श 7, विधुत बिल प्रदर्श 8 से 10 प्रदर्शित करवाये है तथा वादीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रहीं है तथा प्रतिवादीगण के गवाहान ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने भूमि श्रीराम के वारीसान से खरीदी थी एवं कि.नं. 20 में अपना मकान होना स्वीकार किया है तथा मकान में प्रतिवादी फतेहसिंह के नाम से विधुत कनेक्शन लेना स्वीकार किया है। गवाहान डी.डब्ल्यू–2 चतरसिंह ने भी अपनी जिरह में बताया कि वह कृष्ण व फतेहसिंह के काश्त की भूमि के किला नम्बर व पत्थर नम्बर नहीं बता सकता एवं उक्त गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि दक्षिणी तरफ की जो ढाणी बनी हुई है उसमें सरपंच साहब के नाम से विधुत कनेक्शन लिया है तथा यह भी स्वीकार किया कि उतरी तरफ की ढाणीयों में वादीगण व उसके परिवार के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त तथ्यों को गवाहान डी. डब्ल्यू–3 जगदीश ने भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट साबित है कि नजरीया नक्शा प्रदर्श 7 में दर्शाई गई वादीगण की कृषि भूमि को वादीगण काश्त कर रहे है जिस पर उनका कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादीगण की दर्शाई गई भूमि पर प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त है जिन्होनें कि.नं. 20 में बनी ढाणी में अपने नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा है। इस प्रकार वादीगण ने तनकी संख्या 1 अपने पक्ष में बखुबी साबित की है।

दुसरी तरफ वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन कि वादग्रस्त भूमि मुश्तर्का कब्जा काश्त एवं मुश्तर्का खाता की भूमि है। उक्त भूमि रावतसर से हनुमानगढ मैगाहाईवे रोड़ पर स्थित है तथा वादीगण नें प्रतिवादी नं. 1ता 4 का हक व हिस्सा मारने की नियत से अपने हिस्सा में सड़क के पास लगती हुई भूमि दर्शाई है जबकि उक्त भूमि का कभी भी बाहमी बंटवारा नहीं हुआ था तथा आज भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व खाता व लगान मुश्तर्का है।

प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य गवाहान डीडब्ल्यू 1 ता 3 पेश कर वाद भूमि सांझा कब्जा काश्त बखुबी साबित की है। इसलिये अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन करवाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादीगण व प्रतिवादीगण के मौखिक साक्ष्यों से यह जाहिर होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि सांझा खाता में दर्ज है परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अलग अलग कब्जा काश्त कर रहें है तथा अलग अलग ढाणीयां बनाकर उनमें निवास कर रहे है तथा ढाणीयों में अपने–अपने नाम से विधुत कनेक्शन ले रखे है। उक्त तथ्यों को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वादपत्र में वर्णित वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण रहन बैय करने एवं वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने से निषेद्ध रहें। इस तनकी को सिद्ध करने का भार

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण पर था। वादीगण ने अपनी बहस में तनकी संख्या 1 में दोहराये गये तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए कहा कि तनकी संख्या 2 तनकी संख्या 1 पर आधारित है इस कारण तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में साबित होने के कारण तनकी संख्या 2 वादीगण बखुबी साबित है इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण की भूमि को रहन बैय नहीं करने एवं बैदखल नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

दुसरी तरफ वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की भूमि है जिसका विधिनुसार खाता विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये सहकाश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

पत्रावली का अवलोकन किया। तनकी संख्या 2 तनकी संख्या 1 पर आधारित है। तनकी 1 बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण तय की गई है इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने कब्जा काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रहन बैय नहीं करने व उक्त भूमि से वादीगण को बैदखल नहीं करने का अनुतोष चाहा है। इस कारण तनकी संख्या 2 बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण वादपत्र एवं काउंटर क्लेम में वर्णित भूमि का अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के हिसाब से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण स्वंय एवं उनके गवाहान ने सांझी भूमि काश्त होने एवं सांझा कब्जा होने के तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहे है। इस कारण उक्त उनके विरूद्ध तय की जावे।

दुसरी तरफ वकील प्रतिवादीगण ने बताया कि भूमि सांझा खाता व सांझा कब्जा काश्त की भूमि है। जिसको प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्यो से बखुबी साबित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान के ब्यानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के गवाहान ने उतरी तरफ की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में होने एवं दक्षिणी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में होने एवं कि.नं. 20 में बनी ढाणी में प्रतिवादी फतेहसिंह के नाम से विधुत कनेक्शन होने एवं उक्त किला में बनी ढाणी में फतेहसिंह व उनके चौथीये निवास करना बताया है। किला नम्बर 3 में बना ट्यूबैल वादीगण का होना एवं किला नम्बर 10 व 11 में बनी ढाणी वादीगण की होना एवं उक्त ढाणीयों में वादीगण के नाम से विधुत कनेक्शन होना जाहिर किया है। अतः इन तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

4. आया कि प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम अन्दर मियाद नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम अन्दर मियाद नहीं है क्योंकि दावा पेश करने के पश्चात [illegible] वादीगण से मिले हो यह तथ्य प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य से साबित नहीं करे इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

दुसरी तरफ वकील प्रतिवादीगण ने बताया कि उन्होनें अपने काउंटर क्लेम की मद सं. 16 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को कई मर्तबा कहा कि वह उक्त भूमि

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
सवाईमाधोपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

का खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया का तकसीम करवा अलग अलग खाता कायम करवा लेवें लेकिन प्रतिवादीगण लेतोलात करते रहें आखिर झुठा वाद पेश कर दिया। उक्त तथ्यों को वादीगण ने कहीं पर भी खण्डित नहीं किया है। इसलिये प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम अन्दर मियाद है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण अपने काउंटर क्लेम की मद सं. 16 में बिनाय मुखास्मत काउंटर क्लेम दर्ज किया है जिसे वादीगण ने अपने साक्ष्य एवं जिरह में कहीं पर भी उक्त तथ्य को कही पर भी खण्डित नहीं किया है। अतः इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

उक्त विवचेन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड/साक्ष्य/सबूत एवं तनकी सं. 1 ता 4 के निर्णयों को मध्यनजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:–

1. वादीगण 1 ता 3, 5 ता 8 को मुताबिक हक हिस्सा जमाबन्दी के चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न. 158/395 के किला न. 1/2 की 0.2280 है0, 2 व 3 की 0.506 है0, 4 की 0.2400 है0, 5 की 0.0250 है0, 6 की 0.126 है0, 7, 8, 9 की 0.759 है0, 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.1946 है0 उतरी पासा, 12 की 0.2192 है0 उतरी पासा, 13 की 0.2192 है0 उतरी पासा, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.215 है0, 16 की 0.139 है0 उतरी पासा, 17 की 0.203 है0 उतरी पासा, प.न. 159/395(23) के किला न. 11 की 0.013 है0 कुल 3.568 है0कमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 को मुताबिक हक व हिस्सा जमाबन्दी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, कि.नं. 16 की दक्षिणी पासा की 0.076 है., 17 की दक्षिणी हिस्सा की 0.050 है., 18 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.973 है0 कमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

उक्त भूमि पर रहन पूर्वानुसार पक्षकारान के हिस्सा में आई हुई भूमि के मुताबिक यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 24.7.2024 को सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक 697 दिनांक 24.7.2024
दर.देने की तारीख
नकल तैयार करने की दिनांक
नकल देने की दिनांक
नकल लेने वाले का नाम एड. अर्जुनलाल वर्मा
नकल फीस 38/-
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 222/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

1. कृष्णकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. बनवारीलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हालनिवासी चक 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. शिवनारायण पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (कलमजन)
5. मुकेश पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सुभाष पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. सुमीत्रा पुत्री श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. सुगनादेवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल निवासी चक 3 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. फतेसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (कलमजन)
3. विजयपालसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. भवंरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपुत निवासी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अर्जनलाल वर्मा वकील–वादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8
श्री कृष्ण कुमार वकील प्रतिवादी सं. 1, 3, 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक– 25.7.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में वाद वादी डिकी करते हुए घोषणा की जाती है कि:–

1. वादीगण 1 ता 3, 5 ता 8 को मुताबिक हक हिस्सा जमाबन्दी के चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न. 158/395 के किला न. 1/2 की 0.2280 है0, 2 व 3 [illegible] है0, 4 की 0.2400 है0, 5 की 0.0250 है0, 6 की 0.126 है0, 7, 8, 9 की [illegible] 2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.1946 है0 उतरी पासा, 12 की 0.2192 है0 उतरी [illegible] 13 की 0.2192 है0 उतरी पासा, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.215 है0, 16 की 0.13[illegible]0 उतरी पासा, 17 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

0.203 है0 उतरी पासा, प.न. 159/395(23) के किला न. 11 की 0.013 है0 कुल 3.568 है0कमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

2. प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 को मुताबिक हक व हिस्सा जमाबन्दी चक 5 के.डब्ल्यू.डी. के प.न 158/395(24) के किला न. 11/2 की 0.0334 है0दक्षिणी हिस्सा, किला न. 12 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, 13 की 0.0338 है0 दक्षिणी हिस्सा, कि.नं. 16 की दक्षिणी पासा की 0.076 है., 17 की दक्षिणी हिस्सा की 0.050 है., 18 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2280 है0, 21/2 की 0.2280 है0, 22 की 0.2530 है0, 23 की 0.2530 है0, 24 की 0.240 है0, 25 की 0.038 है0 कुल 1.973 है0 कमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

उक्त भूमि पर रहन पूर्वानुसार पक्षकारान के हिस्सा में आई हुई भूमि के मुताबिक यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करेगे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.7.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
[illegible]
[illegible]
[illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं [illegible]
[illegible] (राज.)

क्रमांक 697 दिनांक 24/7/2024
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:25 IST
Reason: SelfAttested